

अध्याय-II

राज्य के वित्त

अध्याय- II

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का वृहद परिदृश्य तथा विगत वर्ष से सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्षीय अवधि के दौरान, राज्य के वित्त लेखों पर आधारित समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण-धारणीयता तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई है।

2.1 2018-19 की तुलना में 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

यह प्रभाग विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय योगों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक सूचकांक का अनुवर्ती परिच्छेदों में विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख राजकोषीय योगों में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियां 0.67 प्रतिशत घट गई ✓ राज्य की अपनी कर प्राप्तियां 0.66 प्रतिशत बढ़ गई ✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियां 11.63 प्रतिशत घट गई ✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश 13.85 प्रतिशत घट गया ✓ भारत सरकार के सहायता अनुदान में 5.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 4.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 4.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2.67 प्रतिशत घट गया
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूँजीगत व्यय में 12.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 10.13 प्रतिशत घट गया ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 5.98 प्रतिशत बढ़ गया ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 17.13 प्रतिशत बढ़ गया
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण 2.14 प्रतिशत घट गया ✓ ऋण एवं अग्रिमों की वसूली 4.55 प्रतिशत घट गई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 68.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक ऋण चुकौती में 43.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा के संवितरण में 38.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> ✓ विगत वर्ष की अपेक्षा 2019-20 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,007.48 करोड़ (1,811.73 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं उनका अनुप्रयोग


यह प्रभाग वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उसके अनुप्रयोग के घटकों की तुलना प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.1: 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2019-20	वृद्धि/गिरावट (प्रतिशत में)
स्रोत	आरंभिक नकदी शेष	183.23	52.70	(-)130.53(71)
	राजस्व प्राप्तियां	30,950.32	30,742.41	(-)207.91(1)
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.82	2.04	(-)6.78(77)
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	21.83	21.04	(-)0.79(4)
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	1,754.05	4,146.64	2,392.59(136)
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	1,627.95	2,457.90	829.95(51)
	योग	34,546.20	37,422.73	2,876.53(8)
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	29,442.11	30,730.43	1,288.32(4)
	पूंजीगत व्यय	4,583.41	5,173.91	590.50(13)
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	467.98	458.21	(-)9.77(2)
	अंत नकद शेष	52.70	1,060.18	1,007.48(1912)
	योग	34,546.20	37,422.73	2,876.53(8)

2019-20 के दौरान राज्य के समेकित निधि में निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का प्रतिशत संघटक चार्ट-2.1 और चार्ट-2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।

राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का भाग होती हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत प्रक्षेपों इत्यादि से सम्बन्धित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण होते हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होते।


इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।


2015-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां **चार्ट-2.3** में दी गई है जबकि 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन **चार्ट-2.4** में दिया गया है।

चार्ट-2.3: राज्य के संसाधनों की प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट-2.4: 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के संघटन



स्रोत: वित्त लेखे

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह परिच्छेद समग्र कुल राजस्व प्राप्तियों तथा इसके घटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। तत्पश्चात् राज्य की स्वयं की प्राप्तियों एवं केन्द्र सरकार की प्राप्तियों में द्विभाजित प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास

तालिका 2.2, 2015-20 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की, साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्ति एवं विकास की जानकारी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा राजस्व प्राप्तियों का संघटन क्रमशः चार्ट 2.5 एवं चार्ट 2.5 (क) में दिया गया है। विगत पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के संघटन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा उत्प्लावकता अनुपात


राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	23,440.48	26,264.34	27,367.06	30,950.32	30,742.41
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	31.37	12.05	4.20	13.09	-0.67
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	6,695.81	7,039.05	7,107.67	7,572.81	7,623.02
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.73	5.13	0.97	6.54	0.66
कर-भिन राजस्व	1,837.15	1,717.24	2,363.85	2,830.07	2,501.51
कर-भिन राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 11.74	(-) 6.53	37.65	19.72	(-) 11.61
राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं का कर एवं कर-भिन राजस्व) (प्रतिशत)	6.37	2.62	8.17	9.82	-2.68
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	1,14,239.41	1,25,633.65	1,38,351.06 ^अ	1,53,844.80 ^अ	1,65,472.39 ^अ

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.09	9.97	10.12	11.20	7.56
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.52	20.91	19.78	20.12	18.58
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	3.11	1.21	0.41	1.17	-0.09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का स्वयं का कर राजस्व	0.63	0.26	0.81	0.88	-0.35

अ-द्वितीय संशोधित अनुमान, ब-प्रथम संशोधित अनुमान, स-अग्रिम अनुमान


स्रोत: वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

चार्ट-2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट-2.5(क): 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



¹ उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया के लचीलेपन अथवा डिग्री को दर्शाता है। उदाहरणार्थ: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में 1.85 राजस्व उत्प्लावकता का तात्पर्य है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी।

- यह देखा जा सकता है कि 2015-20 से राजस्व प्राप्ति की वार्षिक वृद्धि दर 31.37 प्रतिशत से -0.67 प्रतिशत रह गई। 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष से ₹ 208 करोड़ (0.67 प्रतिशत) घट गई जिसका मुख्य कारण कर-भिन्न राजस्व (₹ 329 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों (₹ 752 करोड़) के अन्तर्गत कम प्राप्तियां होना था। यह गिरावट भारत सरकार के सहायता अनुदानों में ₹ 822 करोड़ (5.44 प्रतिशत) तथा स्वयं के कर राजस्व (बहुत अल्प) में ₹ 51 करोड़ (0.66 प्रतिशत) की वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से संतुलित की गई।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, करों एवं कर-भिन्न को मिलाकर राज्य के स्वयं के संसाधनों से मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां हुईं, जबकि शेष 67 प्रतिशत, केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (15 प्रतिशत) तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान (52 प्रतिशत) मिलाकर केंद्रीय अन्तरणों द्वारा प्राप्त हुई। यह इस बात का परिचायक है कि हिमाचल प्रदेश की राजकोषीय स्थिति केंद्रीय अन्तरणों पर आश्रित है अथवा केंद्रीय अन्तरणों से प्रभावित होती है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 0.67 प्रतिशत (₹ 208 करोड़) की गिरावट हुई तथा राजस्व व्यय में 4.37 प्रतिशत (₹ 1,288 करोड़) की वृद्धि हुई, जो विगत वर्ष के राजस्व अधिशेष (₹ 1,508 करोड़) की तुलना में वर्तमान वर्ष में राजस्व अधिशेष (₹ 12 करोड़) को गिरावट की ओर ले गया।
- राज्य की राजस्व उत्प्लावकता में भारी अस्थिरता देखी गई क्योंकि वित्त आयोग अनुदान (2016-17 में 14 वां वित्त आयोग प्रभाव) तथा वस्तु एवं सेवा कर (2017-18 में) लागू होने जैसे बाह्य कारकों ने राजस्व के विभिन्न घटकों में वास्तविक प्राप्तियों को प्रभावित किया था। 2019-20 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता के ऋणात्मक होने का बड़ा कारण सहायता अनुदान में वृद्धि (₹ 822 करोड़) के बावजूद कर-भिन्न राजस्व में कमी (₹ 329 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 752 करोड़) में गिरावट थी।


2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केंद्रीय करों में राज्यांश, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार के सहायता अनुदान, केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण की प्रमात्रा तथा योजनाओं हेतु प्रत्याशित केंद्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन के आंकलन को इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व सहित इसके स्वयं के संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए।

(i) स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर-राजस्व में राज्य वस्तु व सेवाकर, राज्य आबकारी, वाहन कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्री कर इत्यादि समाविष्ट है। 2015-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के विवरण नीचे चार्ट-2.6 में दिए गए हैं:

चार्ट 2.6: 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि



राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित स्वयं का कर राजस्व पंजाब (5.22 प्रतिशत) तथा उत्तराखण्ड (4.54 प्रतिशत) की तुलना में 4.61 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान संग्रहित स्वयं के कर राजस्व के घटक-वार विवरण नीचे तालिका 2.3 में दिए गए हैं:

तालिका 2.3: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाईन
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	1833.16	3342.68	3550.34	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3992.99	4381.91	2525.87	1185.43	1169.53	
राज्य उत्पाद शुल्क	1131.22	1307.87	1311.25	1481.63	1660.02	
वाहन कर	317.05	279.58	367.16	408.01	465.52	
स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क	205.52	209.16	229.18	250.55	259.58	
विद्युत पर कर व शुल्क	551.06	371.67	360.79	487.08	100.86	
भू-राजस्व	7.43	7.64	16.96	8.39	4.79	
माल एवं यात्री कर	115.28	121.37	111.69	104.38	104.03	
अन्य कर	375.26	359.85	351.61	304.66	309.15	
कुल कर राजस्व	6695.81	7039.05	7107.67	7572.81	7623.82	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015-20 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 928.01 करोड़ (13.86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान, कर राजस्व में वस्तु एवं सेवाकर (46.56 प्रतिशत), राज्य आबकारी (21.77 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (15.35 प्रतिशत) तथा वाहन कर (6.11 प्रतिशत) की प्रमुख भागीदारी रही। विगत वर्ष से 2019-20 के दौरान कर राजस्व में, राज्य वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत ₹ 207.66 करोड़, राज्य आबकारी में ₹ 178.39 करोड़, वाहन कर में ₹ 57.51 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वृद्धि विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत ₹ 386.22 करोड़ की गिरावट द्वारा समायोजित हो गई। इस गिरावट का विभाग ने यह कारण बताया कि विभाग ने संग्रहित करों एवं शुल्कों का उपयोग बोर्ड के खर्चों हेतु किया था तथा सरकारी खाते में धनराशि जमा नहीं की थी, जो कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 का उल्लंघन था। विभाग ने यह भी बताया कि राशि का आगामी वित्तीय वर्ष में समायोजन किया जाएगा। कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत में 2015-16 के दौरान 28.57 प्रतिशत से 2019-20 के दौरान 24.80 प्रतिशत की लगातार गिरावट देखी गई।

(ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवाकर लागू होने से उत्पन्न राजस्व की गिरावट हेतु आधार वर्ष से 5 वर्ष की अवधि तक 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। केन्द्र वस्तु एवं सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर लगाता है तथा राज्य को वस्तु अथवा सेवाओं का उपभोग होने पर कर राज्यांश आवंटित करता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) में संशोधन किया गया जिसके कारण अंतिमकृत राजस्व आंकड़ा सितम्बर 2020 में ₹ 3,634 करोड़ से ₹ 3,678 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार प्राक्कलित राजस्व, संग्रहित वास्तविक राजस्व तथा बकाया एवं प्राप्त हुई भारत सरकार की क्षतिपूर्ति तालिका 2.3 (क) में दी गई है:

तालिका 2.3(क): वस्तु एवं सेवाकर के संग्रहण तथा भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित राजस्व राशि *	एकत्रित राजस्व राशि **	बकाया क्षतिपूर्ति राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि	गिरावट
	1	2	3 = 1-2	4	5 = 3-4
2017-18	3,585	2,497	1,088	539	549
2018-19	5,450	3,367	2,083	2,037	46
2019-20	6,213	3,594	2,619	1,877	742
कुल	15,248	9,458	5,790	4,453	1,337

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकर (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी

* प्राक्कलित राजस्व की गणना 2015-16 के राजस्व आंकड़े को आधार वर्ष मानते हुए 14 प्रतिशत प्रति वर्ष जोड़ते हुए की जाती है।

** पेट्रोलियम उत्पादों एवं शराब पर मूल्य वर्धित कर व केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़ते हुए मूल्य वर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर (निवल प्रतिदाय) तथा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत सम्मिलित सभी करों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं।

राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण की अनुमानित वृद्धि से कम थी तथा ₹15,248 करोड़ की प्राक्कलित वस्तु एवं सेवाकर प्राप्ति के प्रति 2017-20 की अवधि के दौरान ₹ 5,790 करोड़ की कुल गिरावट पाई गई। राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार भारत सरकार को राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करनी थी। यद्यपि उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने मार्च 2020 तक केवल ₹4,453 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप ₹1,337 करोड़ की गिरावट हुई। राज्य ने इस वर्ष के दौरान एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत हुई शुद्ध आय का उसका अंश प्राप्त नहीं किया।

यद्यपि, आबकारी एवं कराधान विभाग के अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात् यह पाया गया कि ₹1,337 करोड़ (वित्त लेखाओं के अनुसार) के घाटे के प्रति वास्तविक घाटा मात्र ₹ 319 करोड़ (विभाग के अनुसार आंकड़े) था। इस प्रकार, वित्त लेखाओं में बुक किए गए आंकड़ों (₹ 4,453 करोड़) तथा विभाग (आबकारी एवं कराधान विभाग) के पास उपलब्ध आंकड़ों (₹ 5,471 करोड़) के मध्य ₹1,018 करोड़ (2017-20) का अंतर था। यह इस कारण हुआ कि वित्त लेखाओं में राशि जिस माह(माहों)/वर्ष(वर्षों) से वास्तव में सम्बन्धित थी, उसमें बुक न करके उस माह(माहों)/वर्ष(वर्षों) में बुक की गई जिसमें असल में वे प्राप्त की गई थी हालांकि विभाग ने प्राप्ति की तिथि में बुक न करके राशि उस माह(माहों)/वर्ष(वर्षों) में बुक की थी जिससे वे वास्तव में सम्बन्धित थी, जैसा कि तालिका 2.3 (ख) में दिखाया गया है।

तालिका -2.3 (ख): विभागीय (आबकारी एवं कराधान) आंकड़ों एवं वित्त लेखे के मध्य अंतर

वह अवधि, जिसकी प्राप्ति से संबंधित है।	वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा आंकड़े (₹ करोड़ में)				वित्त खातों के आंकड़े 2019-20 (₹ करोड़ में)		
	2017-18	2018-19	2019-20		2017-18	2018-19	2019-20
नवम्बर-दिसम्बर	539			जनवरी	539		
जनवरी-फरवरी	336			मई		336	418
मार्च	184			जून		184	
अप्रैल - मई		225	359	जुलाई		225	359
जून - जुलाई		354	419	अगस्त		354	419
अगस्त - सितम्बर		315	463	नवम्बर		315	
				दिसम्बर			463
अक्तूबर - नवम्बर		330	385	जनवरी		330	
							218.33
दिसम्बर- फरवरी		293	612.47	फरवरी		293	0
मार्च		418	238.51	मार्च			
कुल	1,059	1,935	2,476.98		539	2,037	1,877.33
कुल योग	5,471				4,453		
अंतर	1,018						

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से ली गई जानकारी

(iii) वस्तु एवं सेवाकर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

20 जून 2020 को राज्य के पैन के बैंक ऐन्ड डेटा तथा सिस्टस लेखापरीक्षा तक एक्सेस (पहुंच) प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय की सूचना लेखापरीक्षा को दी गई। डेटा हेतु आवश्यक पूर्ण एक्सेस अभी प्रदान करना शेष है। वस्तु एवं सेवा कर के सभी लेनदेनों से सम्बन्धित पूर्ण एक्सेस का न होना वृहद लेखापरीक्षा के मार्ग को बाधित कर रहा है। इसलिए वर्ष 2019-20 के लेखाओं को नमूना-जांच के आधार पर प्रमाणित किया गया है, जैसा कि तब किया जाता जब अभिलेख हस्तलिखित (मेन्यूअली) रूप से अनुरक्षित किए गए थे।

(iv) राजस्व के बकाया तथा मूल्यांकन के बकाया का विश्लेषण

राजस्व बकाया सरकार द्वारा राजस्व की विलम्बित वसूली को दर्शाता है। इसी भांति, आंकलन में बकाया विलम्बित आंकलन के कारण अवरूद्ध संभावित राजस्व को दर्शाता है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं तथा अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

(क) राजस्व बकाया

31 मार्च 2020 तक राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों में ₹ 4,149.63 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें ₹ 2,444.70 करोड़ (58.91 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि नीचे तालिका-2.4 में वर्णित है:

तालिका 2.4: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2020 तक पांच साल से अधिक समय से बकाया राशि
0039-राज्य आबकारी	268.03	39.76
0040-मूल्य वर्धित कर	3,790.19	2,351.48
0042-यात्री एवं माल कर	7.51	6.45
0045- अन्य कर एवं शुल्क	83.90	47.01
योग	4,149.63	2,444.70

स्त्रोत: राज्य के विभाग

(ख) आंकलन हेतु बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा बिक्री/मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए, वर्ष के प्रारंभ में विलम्बित मामले, वे मामले जो आंकलन हेतु बकाया थे, वर्ष के दौरान निपटान न किए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिए जाने हेतु लम्बित मामलों की संख्या के विवरण नीचे तालिका:2.5 में दिए गए हैं:

तालिका 2.5: आंकलन हेतु बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		आरम्भिक शेष	2019-20 के दौरान आंकलन हेतु बकाया	कुल आंकलन बकाया	2019-20 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	निपटान का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/ विकास दर	केन्द्रीय बिक्री कर	1,52,169	6,147	1,58,316	36,856	1,21,460	23
	मूल्य वर्धित कर	1,71,389	12,902	1,84,291	35,829	1,48,462	19
विलासिता कर		3,812	553	4,365	1,419	2946	33
कार्य अनुबंधों पर कर		1,135	0	1,135	163	972	14
योग		3,28,505	19,602	3,48,107	74,267	2,73,840	21

स्त्रोत: राज्य के विभाग

(v) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय मामलों इत्यादि का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अतिमिश्रित मामले तथा उत्पन्न अतिरिक्त कर की मांग, राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण सूचकांक है। प्रतिदाय मामलों के निपटान में तत्परता विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। अत्यधिक विलम्बित प्रतिदाय के मामले लाल-फीताशाही, निजी स्वार्थ, रिश्वत के प्रसार इत्यादि को इंगित कर सकते हैं। राज्य कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के विवरण तथा प्रतिदाय मामलों के विवरण नीचे तालिका 2.6 (क) तथा तालिका 2.6(ख) में दिए गए हैं:

तालिका 2.6(क): पता लगाए गए कर अपवचन

क्रम सं०.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 तक लंबित मामले	2019-20 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें आंकलन /जांच पूरी हुई और शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2020 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	राज्य उत्पाद शुल्क	72	838	910	848	2.46	62
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	65	731	796	731	3.25	65
3.	यात्री व माल पर कर	36	16,571	16,607	16,586	7.23	21
4.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	7	1,268	1,275	1,239	5.57	36
	कुल:	180	19,408	19,588	19,404	18.51	184

तालिका 2.6(ख): प्रतिदाय मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	48	11.51	23	1.09
2.	वर्ष के दौरान वसूली किए गए दावे	197	59.69	54	3.42
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	195	48.27	71	4.31
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	--	--	--	--
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	50	22.93	6	0.20

(vi) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

तालिका 2.7: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	93.84	145.56	340.54	385.88	245.36	
लाभांश व लाभ	111.94	289.63	255.58	181.92	248.44	
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	1631.36	1282.04	1767	2262.27	2007.72	
विविध सामान्य सेवाएं	19.37	2.35	5.46	20.76	5.17	
शिक्षा, खेल एवं संस्कृति	206.37	112.22	180.76	214.59	238.59	
वानिकी एवं वन्य जीव	34.47	18.5	46.87	76.32	83.61	
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32.81	42.63	40.45	51.34	49.65	
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	155.08	176.22	441.46	221.05	246.30	
विद्युत	923.68	650.93	687.61	1134.34	1021.68	
अन्य	259.58	279.19	364.39	543.87	362.72	
योग	1837.15	1717.24	2363.85	2830.07	2501.51	


स्त्रोत: वित्त लेखे

2015-16 से 2019-20 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का छः से नौ प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का 8.14 प्रतिशत था जो विगत वर्ष की तुलना से एक प्रतिशत कम था। गत पांच वर्षों में, मुख्य भागीदारी विद्युत क्षेत्र की रही जिसने कर भिन्न राजस्व में 29 से 50 प्रतिशत तक की भागीदारी की। 2019-20 के दौरान कर-भिन्न राजस्व, विगत वर्ष से ₹ 328.56 करोड़ (11.61 प्रतिशत) घट गया। यह गिरावट मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों (₹140.52 करोड़) तथा विद्युत (₹112.66 करोड़) में प्राप्तियों के घटने के कारण हुई।

2.3.2.3 केन्द्र से अन्तरण

केन्द्रीय अन्तरण वित्त आयोग की अनुशंसा पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्तरणों की प्रवृत्ति चार्ट 2.7 में दिखाई गई है।

चार्ट 2.7: केन्द्रीय अन्तरणों की प्रवृत्ति



(i) केन्द्रीय कर अन्तरण

14 वें वित्त आयोग ने 2015-16 के बाद से केन्द्रीय करों के राज्यांश में 42 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी अनुशंसा के परिणामस्वरूप 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए केन्द्रीय करों की शुद्ध आय (सेवा कर सहित) में राज्यांश को 0.713 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 2010-11 से 2019-20 की अवधि के दौरान वित्त आयोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण नीचे तालिका 2.8 में दिए गए हैं:

तालिका 2.8: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: वित्त आयोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्त आयोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2010-11	सेवा कर को छोड़कर सभी बांटने योग्य करों की शुद्ध आय का 0.781 प्रतिशत तथा बांटने योग्य सेवा कर के शुद्ध आय का 0.793 प्रतिशत (13 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	1,634.82	1,715.35	80.53
2011-12		2,060.67	1,998.37	(-) 62.30
2012-13		2,362.61	2,282.02	(-) 80.59
2013-14		2,716.72	2,491.53	(-) 225.19
2014-15		2,993.17	2,644.17	(-) 349.00
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी बांटने योग्य करों की शुद्ध आय का 0.713 प्रतिशत तथा बांटने योग्य सेवा कर की शुद्ध आय का 0.722 प्रतिशत (14 वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार)	3,743.71	3,611.17	(-) 132.54
2016-17		4,074.67	4,343.70	269.03
2017-18		4,819.21	4,801.31	(-) 17.90
2018-19		5,619.31	5,429.77	(-) 189.54
2019-20		5,769.12	4,677.56	(-) 1,091.56

स्रोत: 13 वें वित्त आयोग एवं 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे तथा वार्षिक वित्तीय विवरण ।

2015-20 के दौरान राज्य को प्राप्त केन्द्रीय कर अन्तरणों के विवरण तालिका 2.9 में दिए गए हैं:

तालिका 2.9: केन्द्रीय कर अन्तरण के संघटक

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय कर अन्तरण के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	--	--	68.36	1,340.15	1,327.34	-12.81
एकीकृत माल एवं सेवा कर	--	--	484.84	107.00	--	-107.00
निगम कर	1,135.61	1,393.48	1,470.67	1,888.31	1,594.86	-293.45
निगम कर के अलावा अन्य आय कर	786.68	968.47	1,241.88	1,390.66	1,249.68	-140.98
सीमा शुल्क	579.13	599.42	484.70	384.89	296.49	-88.40
संघ उत्पाद शुल्क	484.57	684.49	506.50	255.78	206.16	-49.62
सेवा कर	621.90	694.64	544.40	49.66	--	-49.66
अन्य कर ²	3.28	3.20	(-) 0.04	13.32	3.03	-10.29
केन्द्रीय कर अन्तरण	3,611.17	4,343.70	4,801.31	5,429.77	4,677.56	-752.21
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	36.57	20.29	10.54	13.09	(-) 13.85	
राजस्व प्राप्तियों में कर अन्तरण का प्रतिशत	15.41	16.54	17.54	17.54	15.22	

स्रोत: वित्त लेखे

² सम्पत्ति कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित है ।

2015-20 की पांच साल की अवधि में केन्द्रीय कर अन्तरण में 29.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें विगत वर्ष से ₹ 752.21 करोड़ (13.85 प्रतिशत) की गिरावट हुई। वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय कर अन्तरण, राजस्व प्राप्तियों का 15.22 प्रतिशत रहे जो विगत वर्ष से 2.32 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया है, राज्य ने वित्त आयोग की अनुशंसाओं (13 वें वित्त आयोग एवं 14 वें वित्त आयोग) के अनुसार संघीय करों एवं शुल्कों का इसका अंश 2011-12 से 2019-20 (2016-17 को छोड़कर) की अवधि में प्राप्त नहीं किया था। वर्तमान वर्ष के दौरान, यह अंश ₹ 1,091.56 करोड़ कम रहा।

ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 से आयोजना तथा आयोजनेत्तर वर्गीकरण बंद करके राज्यों को सहायता अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य शीर्ष -1601-सहायता-अनुदान (जीआईए) के तहत नए उप-मुख्य शीर्ष का संचालन किया। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 2.10 में दी गई है।

तालिका 2.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयोजनेत्तर अनुदान#	8,524.32	8,877.19	--	--	--
राज्य आयोजना अनुदान#	755.52	1,187.49	--	--	--
केन्द्रीय स्कीमों हेतु अनुदान #	37.96	44.45	--	--	--
केन्द्र प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान #	1,978.55	3,055.23	--	--	--
केन्द्र प्रायोजित स्कीम	--	--	3,590.26	4,010.49	4,915.06
वित्त आयोग अनुदान	--	--	8,889.00	8,831.25	8,617.82*
अन्य अन्तरण/राज्य/विधानसभा सहित / केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान	--	--	615.39	2,275.93	2,406.64@
योग	11,296.35	13,164.35	13,094.23	15,117.66	15,939.52
विगत वर्ष से प्रतिशत में वृद्धि	57.38	16.54	(-)0.53	15.45	5.44
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	48.19	50.12	47.85	48.84	51.85

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* वित्त आयोग अनुदान में हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹7,866 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹555 करोड़) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (197 करोड़) जो पहले राज्य लेखाओं में आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में जाता था, सम्मिलित होता है।

@ इसमें वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से उत्पन्न हुई राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति के ₹1,877.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

इसमें कोई आंकड़े नहीं हैं क्योंकि आयोजन एवं आयोजनेत्तर अनुदानों के नाम 2017-18 से हटा दिए गए थे तथा उनके स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान, वित्तियोग अनुदान तथा राज्यों को अन्य अनुदान दिए गए हैं।

विगत वर्ष की अपेक्षा 2019-20 में भारत सरकार के सहायता अनुदानों में ₹ 821.86 करोड़ की वृद्धि हुई। सहायता अनुदान का 49 प्रतिशत हस्तांतरण राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर था। 2015-20 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का अंश 48 से 52 प्रतिशत के मध्य रहा।

iii) 14 वें वित्त आयोग के अनुदान

जैसा कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित है, 14 वें वित्त आयोग के अनुदान राज्य के स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु दिए गए थे। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान राज्य को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी तथा अन्तरित किए गए सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अन्तरण	14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			राज्य सरकार द्वारा जारी		
	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल (2015- 20)	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल
1. स्थानीय निकाय	1,401.47	610.10	2,011.57	1,283.99	530.77	1,814.76	1,283.99	530.77	1,814.76
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	1,261.44	548.36	1,809.80	1,175.67	488.64	1,664.31	1,175.67	488.64	1,664.31
(क) सामान्य बुनियादी अनुदान	1,140.18	488.64	1,628.82	1,140.18	488.64	1,628.82	1,140.18	488.64	1,628.82
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	121.26	59.72	180.98	35.49	0	35.49	35.49	0	35.49
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	140.03	61.74	201.77	108.32	42.13	150.45	108.32	42.13	150.45
(क) सामान्य बुनियादी अनुदान	113.00	48.42	161.42	100.41	42.13	142.54	100.41	42.13	142.54
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	27.03	13.32	40.35	7.91	0	7.91	7.91	0	7.91
2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि *	1,017.00	287.00	1,304.00	915.62	197.23	1,112.85	1,024.98	28.70	1,053.68
कुल योग (1+2)	2,418.47	897.10	3,315.57	2,199.61	728.00	2,927.61	2,308.97	559.47	2,868.44

स्रोत: 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

* कुल अनुदान के 25 प्रतिशत राज्यांश सहित

राज्य 14वें वित्त आयोग के अनुदान का उसका सम्पूर्ण अंश, मूल रूप से पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों दोनों में, निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के मानदंडों प्राप्त न कर पाने के कारण नहीं ले सके। इसके अतिरिक्त, वित्त लेखाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से संवितरण करने का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मिलने से का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए वास्तविक व्यय के साक्ष्य/सह-वाउचर प्रस्तुत नहीं किए।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं। पिछले पांच वर्षों (2015-20) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटक की प्रवृत्ति तालिका 2.12 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत प्राप्तियां	2,207.37	4,689.97	2,174.87	1,784.70	4,169.72
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	शून्य	34.82	8.82	2.04
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियां	25.90	29.50	39.61	21.83	21.04
निवल लोक ऋण प्राप्तियां	2,181.47	4,660.47	2,100.44	1,754.05	4,146.64
आंतरिक ऋण	2,203.29	4,633.10	2,097.45	1,771.71	4,164.59
वृद्धि दर	13.88	110.28	-54.73	-15.53	135.06
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	-21.82	27.37	2.99	-17.66	-17.95
वृद्धि दर	-137.13	225.44	-89.08	-690.64	-1.64
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-16.64	113.64	-54.93	-16.49	136.40
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-96.25	13.90	152.31	-58.82	-24.70
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	10.09	9.97	10.12	11.20	7.56
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर(प्रतिशत)	-33.26	112.47	-53.63	-17.94	133.64

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

पूंजीगत प्राप्तियां 2015-16 के ₹ 2,207.37 करोड़ से घटकर 2018-19 में ₹ 1,784.70 करोड़ हो गई (उदय योजना हेतु डिस्कॉम को दिए ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण के समावेश के कारण 2016-17 छोड़ कर)। गत वर्ष से 2019-20 में पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 4,169.72 करोड़) बाजार ऋणों (₹ 2,370 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 2,385.02 करोड़ बढ़ गई।

लोक ऋण प्राप्तियां भविष्यगामी चुकौती देयताएं बनती हैं तथा इन्हें बाजार, वित्तीय संस्थानों तथा केंद्र सरकार से लिया जाता है। 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि में लोक ऋण प्राप्तियों का 60.54 प्रतिशत अवधि के दौरान लिए गए लोक ऋण को चुकाने में प्रयुक्त किया गया, शेष बचा मात्र 39.46 प्रतिशत ही अन्य उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया गया।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं।

14 वें वित्त आयोग के आंकलन तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी की तुलना में वर्ष 2019-20 हेतु राज्य की वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 2.13 में दी गई हैं।

तालिका 2.13: राज्यों के स्वयं के संसाधन: प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	14 वें वित्त आयोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन	मूल	वास्तविक आंकड़ों के प्रतिशतता में विचलन		
					14 वें वित्त आयोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन
स्वयं का कर राजस्व	16,591	7,921.43	7,921.43	7,623.82	-54.05	-3.76	-3.76
कर-भिन्न राजस्व	2,685	2,442.86	2,442.86	2,501.51	-6.83	लक्ष्य प्राप्त किया	लक्ष्य प्राप्त किया

राज्य के स्वयं के कर-राजस्व के तहत वास्तविक संग्रहण 14 वें वित्त आयोग के प्राक्कलनों से 54.05 प्रतिशत तथा बजट आंकलन एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी से 3.76 प्रतिशत घट गया था। कर-भिन्न राजस्व के तहत वास्तविक प्राप्तियां 14वें वित्त आयोग के प्राक्कलनों से 6.83 प्रतिशत कम थी परंतु बजट अनुमान तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक थी। इस प्रकार राज्य सरकार स्वयं के कर राजस्व के मामले में बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में प्राक्कलित स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का जिम्मा सौंपा गया है कि राज्यों की सतत राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया पूंजीगत ढांचे एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास को प्रभावित न करें। संसाधनों के अनुप्रयोग का अनुवर्ती परिच्छेदों में व्यय के संघटक एवं वृद्धि, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय-निकायों के अर्न्तगत विश्लेषण किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

राज्य सरकार के व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय नाम की दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसम्पत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन प्रति दिन चलाने हेतु हुए अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय: परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार साथ ही परियोजना प्रचालित न होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त संवर्धन तथा संशोधन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते हैं, वे प्रभार भी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। विगत पांच वर्षों (2015-20) के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन को तालिका 2.13 (क) में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13 (क): कुल व्यय तथा उसके संघटक


(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	25,630.47	32,132.94	31,311.36	34,493.50	36,362.55
राजस्व व्यय	22,302.81	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43
पूंजीगत व्यय	2,864.49	3,499.03	3,755.67	4,583.41	5,173.91
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	463.17	3,289.69 [@]	502.53	467.98	458.21
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	114,239.41	125,633.65	138,351.06	153,844.80	165,472.39
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.44	25.58	22.63	22.42	21.97
राजस्व व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.52	20.17	19.55	19.14	18.57
पूंजीगत व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.51	2.79	2.71	2.98	3.13
ऋण एवं अग्रिम / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.41	2.62	0.36	0.30	0.28

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

[@] उदय स्कीम के डिस्कॉम को दिया गया ₹2,890.50 करोड़ का ऋण सम्मिलित


पांच वर्षों (2015-20) की अवधि में कुल व्यय 41.87 प्रतिशत बढ़ गया। 2019-20 के दौरान यह विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 1,869 करोड़ (पांच प्रतिशत) बढ़ गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 2015-20 के दौरान 22.63 प्रतिशत से 25.58 प्रतिशत के मध्य ही रहा। 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय में 37.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में पूंजीगत व्यय 80.62 प्रतिशत बढ़ गया।



जैसा कि चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है, 2015-20 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 84.5 से 87.0 प्रतिशत के मध्य रहा। इसी भांति, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2015-16 के 11.2 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2019-20 में 14.2 प्रतिशत हो गया। ऋणों तथा अग्रिमों का अंश जो 2016-17 में उदय स्कीम के अंतर्गत ऋण के संवितरण के कारण 10.2 प्रतिशत था, 2019-20 में 1.3 प्रतिशत रहा। इसी अवधि के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम का अंश लगभग स्थिर रहा।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं पर व्यय से मिल कर बनता है। कुल व्यय में इन घटकों का सापेक्षिक अंश 2019-20 के दौरान ₹ 36,362 करोड़ (संदर्भ परिशिष्ट-2) रहा जो चार्ट 2.9 में दिया गया है।

चार्ट-2.9: 2019-20 के दौरान व्यय के संघटक (प्रतिशत में)




2015-20 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षित अंश तालिका 2.14 में दिए गए हैं।

तालिका 2.14: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश

प्राचल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवा	34.63	30.92	35.77	33.82	34.48
सामाजिक सेवा	34.23	33.15	36.64	36.73	36.59
आर्थिक सेवा	29.30	25.66	25.95	28.07	27.64
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम)	1.84	10.27	1.64	1.38	1.29

चार्ट 2.10, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रीय घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



व्यय के इन घटकों के सापेक्ष अंश की गतिविधि दर्शाती है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं अन्य के अंश में मामूली अन्तरवर्षीय विचलन आया। 2019-20 में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित), जो गैर-विकास व्यय का भाग बनाता है, 2018-19 में 33.82 प्रतिशत से बढ़कर 34.48 प्रतिशत हो गया। विकास व्यय अर्थात् दोनों सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय 2018-19 के 64.8 प्रतिशत के सापेक्ष 2019-20 में 64.10 प्रतिशत रहा। ऋण तथा अग्रिम का अंश 2016-17 में 10.24 प्रतिशत रहा। ऋण तथा अग्रिम का अंश, 2016-17 में जब उदय स्कीम के अन्तर्गत डिस्कॉम को ₹ 2,890.50 करोड़ लागत का ऋण संवितरित किया गया था (10.24 प्रतिशत), को छोड़कर शेष विगत पांच वर्षों में लगभग स्थिर रहा।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछली देयताओं हेतु सेवाओं एवं भुगतान के वर्तमान स्तर को बनाए रखने हेतु किया जाता है। वैसे तो यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा तंत्र में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता। 2015-20 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में उत्प्लावकता तालिका 2.15 में दर्शाई गई है।

तालिका- 2.15: 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	25,630.47	32,132.94	31,311.36	34,493.50	36,362.55
राजस्व व्यय	22,302.81	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.72	13.63	6.74	8.83	4.37
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	87.02	78.87	86.40	85.36	84.51
राजस्व व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद(प्रतिशत)	19.52	20.17	19.55	19.14	18.57
राजस्व प्राप्तियां	23,440.48	26,264.34	27,367.06	30,950.32	30,742.41
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	95.15	96.50	98.85	95.13	99.96
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर(प्रतिशत में)	31.37	12.05	4.20	13.09	-0.67
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,14,239.41	1,25,633.65	1,38,351.06	1,53,844.80	1,65,472.39
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	10.09	9.97	10.12	11.20	7.56
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.26	1.37	0.67	0.79	0.58
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.41	1.13	1.61	0.67	-6.52

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


2015-20 के दौरान राजस्व व्यय में 4 से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से ₹ 10,732 करोड़ (41.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में 2015-20 की पांच वर्षों की अवधि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। राजस्व व्यय 2018-19 (₹ 29,442 करोड़) की अपेक्षा 2019-20 में (₹ 30,730 करोड़) ₹ 1,288 करोड़ बढ़ गया। यह वृद्धि सामान्य सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुई तथा आर्थिक सेवाओं में हुई गिरावट से संतुलित हो गई।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्व व्यय का प्रतिशत 2019-20 के दौरान लगभग समान अर्थात् क्रमशः 18.58 एवं 18.57 प्रतिशत रहा। इस प्रकार 2019-20 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष केवल ₹ 12 करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.01 प्रतिशत था।

2019-20 में ₹ 30,730 करोड़ का राजस्व व्यय बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 36,089 करोड़) के तथा 14वें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 34,541 करोड़) से कम था। वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट-2.11 में दिया गया है।

चार्ट-2.11: 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



2.4.2.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

तालिका-2.16 विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि अथवा गिरावट के मामलों पर प्रकाश डालती है।

तालिका-2.16: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में आए उल्लेखनीय विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+) / गिरावट (-)
सामान्य सेवाएं	11,438.34	12,335.20	896.86
2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4974.77	5489.74	514.97
2049-ब्याज भुगतान	4,021.52	4,234.02	212.50
2055-पुलिस	1,092.57	1,142.93	50.36
2015-चुनाव	44.87	90.77	45.90
सामाजिक सेवाएं	11,482.20	12,046.95	564.75
2202- सामान्य शिक्षा	5,691.76	6,037.87	346.11
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,048.37	1,228.62	180.25
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	751.63	923.64	172.01
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1,529.35	1,661.55	132.20
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,141.35	942.18	-199.17
2216-आवास	103.31	35.73	-67.58
आर्थिक सेवाएं	6512.19	6338.01	-174.18
2801-विद्युत	579.19	406.20	-172.99
2505-ग्रामीण रोजगार	335.48	235.72	-99.76
सहायता अनुदान एवं वितरण	9.39	10.27	0.88
3604-स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज को क्षतिपूर्ति एवं कार्यभार	9.39	10.27	0.88

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 896.86 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्य रूप से पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति, ब्याज भुगतान, पुलिस सेवाएं व चुनाव पर व्यय बढ़ना था। इस वर्ष के दौरान बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान में ₹ 166.12 करोड़ की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा सामाजिक सेवाओं पर व्यय में

₹ 564.75 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्यतः सामान्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य व अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय की वृद्धि रहा। यह वृद्धि जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा आवास में गिरावट होने से कुछ हद तक समायोजित हुई। विद्युत एवं ग्रामीण रोजगार पर व्यय में गिरावट होने से आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 174.18 करोड़ की गिरावट हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखों पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान; वेतन एवं मजदूरी पर व्यय; तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय की आरोही प्रवृत्ति से सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम गुंजाइश रह जाती है।

तालिका 2.17 2015-20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है, जबकि कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत अंश **चार्ट 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.17: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी	8,174.13	9,681.67	10,765.83	11,210.42	11,742.23 *
पेंशन में व्यय	3,836.44	4,114.17	4,708.85	4,974.77	5,489.75
ब्याज भुगतान	3,155.00	3,358.91	3,788.22	4,021.52	4,234.02
कुल	15,165.57	17,154.75	19,262.90	20,206.71	21,466.00
राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशतता					
वेतन व मजदूरी	34.87	36.86	39.34	36.22	38.20
पेंशन में व्यय	16.37	15.66	17.21	16.07	17.86
ब्याज भुगतान	13.46	12.79	13.84	12.99	13.77
कुल	64.70	65.31	70.39	65.28	69.83
राजस्व व्यय में प्रतिशतता					
वेतन व मजदूरी	36.65	38.20	39.80	38.08	38.21
पेंशन में व्यय	17.20	16.23	17.41	16.90	17.86
ब्याज भुगतान	14.15	13.25	14.00	13.66	13.78
कुल	68.00	67.68	71.21	68.64	69.85

* वेतन: ₹11,477.37 करोड़; मजदूरी: ₹264.86 करोड़

स्त्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.12: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा



राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में निरंतर वृद्धि देखी गई। विगत वर्ष से 2019-20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 1,259 करोड़ की वृद्धि हुई (छह प्रतिशत)। इसने 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय (68.71 प्रतिशत) तथा राजस्व प्राप्तियों (65.70 प्रतिशत) का बड़ा हिस्सा लिया जिससे सरकार के पास विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने की बहुत कम संभावना बची।

वेतन एवं मजदूरी: वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2015-16 के ₹ 8,174 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 11,742 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा में 2019-20 के दौरान इसमें ₹ 532 करोड़ (पांच प्रतिशत) की वृद्धि हुई, तथा 2019-20 के दौरान यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत था। वर्तमान वर्ष में हुआ वेतन पर व्यय (₹ 11,742 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण के प्राक्कलन (₹ 12,359 करोड़) के भीतर रहा।

ब्याज भुगतान: ब्याज भुगतान 2015-16 में ₹ 3,155 करोड़ से 34 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 4,234 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में वृद्धि ₹ 212 करोड़ (पांच प्रतिशत) थी। ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय का 14 प्रतिशत था। ब्याज भुगतान 14वें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 4,575 करोड़) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन (₹ 4,550 करोड़) के भीतर रहा।

पेंशन भुगतान: पेंशन भुगतान पर व्यय 2015-16 के ₹ 3,836 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 5,490 करोड़ हो गया तथा विगत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें ₹ 525 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान, वेतन तथा पेंशन भुगतान दोनों राजस्व व्यय का 56 प्रतिशत था। यहां मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलित पेंशन (₹ 6,660 करोड़) तथा वास्तविक व्यय (5,490 करोड़) के मध्य उल्लेखनीय अन्तर (₹ 1,170 करोड़ अर्थात् 18 प्रतिशत) देखा गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न होना

सरकार ने “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली” प्रस्तुत की जो 15 मई 2003 से या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में जुड़ने वाले सभी नवागतों पर प्रयोज्य थी। इस प्रणाली के अंतर्गत, कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत की भागीदारी करते हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपना अंश मिलाया जाता है तथा कर्मचारियों एवं नियोक्ता दोनों के अंश को लोक लेखा (मुख्य शीर्ष 8342-अन्य निक्षेप - 117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) में आरंभिक तौर पर जमा किया जाता है।

कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों के अंश को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दिशा-निर्देशानुसार आगे निवेश करने के लिए नामित प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित बैंक में चालू खाता खोलती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्य शीर्ष 8342-अन्य निक्षेप-117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में ₹ 821.27 करोड़ (कर्मचारियों का अंश: 349.31 करोड़, सरकार का अंश: ₹ 471.91 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 0.05 करोड़) की कुल राशि जमा की गई थी। सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित में ₹ 821.51 करोड़ का हस्तांतरण किया (कर्मचारी अंश: ₹ 350.29 करोड़ तथा सरकार का अंश: ₹ 471.22 करोड़)। हालांकि, मुख्य शीर्ष 8342- अन्य निक्षेप-117 सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत ₹1.41 करोड़ (2018-19) का प्रतिकूल शेष वर्ष (2019-20) के अंत में बढ़कर ₹ 1.64 करोड़ हो गया, जिसे राज्य सरकार के साथ मिलान किए जाने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित ने चालू वर्ष के दौरान ₹ 821.41 करोड़ की कुल राशि जमा होने की पुष्टि की। इस अन्तर को राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित के मध्य मिलान किया जाना है।

2.4.2.4 सब्सिडी

राज्य सरकार विभिन्न विभागों/संस्थाओं/ निकायों/ निगमों को सब्सिडी देती है।

सब्सिडी पर व्यय 2015-16 के ₹ 1,346.08 करोड़ से ₹ 278.30 करोड़ (20.67 प्रतिशत) घटकर 2019-20 में ₹1,067.78 करोड़ रह गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 3.47 प्रतिशत था जैसा कि तालिका-2.18 में वर्णित है।

तालिका 2.18: 2015-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	1,346.08	763.96	906.79	1,282.60	1,067.78
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	5.74	2.91	3.31	4.15	3.47
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	6.04	3.01	3.35	4.36	3.49

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

विगत वर्ष की अपेक्षा 2019-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में ₹ 216 करोड़ की गिरावट देखी गई। वर्ष के दौरान, विभिन्न विभागों को ₹1,067 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया, जो राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय दोनों का लगभग 3.5 प्रतिशत था। सब्सिडी प्राप्त करने में प्रमुख थे ऊर्जा (₹ 400 करोड़-37.46 प्रतिशत), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 244.88 करोड़-22.93 प्रतिशत), परिवहन (₹160 करोड़-14.98 प्रतिशत) कृषि (₹123.65 करोड़-11.58 प्रतिशत) तथा उद्यान (₹109.72 करोड़-10.28 प्रतिशत)। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी कुल सब्सिडी मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 1,066.23 करोड़) के प्राक्कलन के अनुरूप थी।

2.4.2.5 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

राज्य सरकार स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदान तथा ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 2.19 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.19: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
स्थानीय निकाय					
नगर निगम व नगर पालिकाएं	321.63	554.49	249.31	487.99	456.22
पंचायती राज संस्थाएं	926.72	1,011.60	781.21	1,026.07	1,053.39
कुल (क)	1,248.35	1,566.09	1,030.52	1,514.06	1,509.61
अन्य					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त कॉलेज, विद्यालय, आदि)	663.67	849.57	905.15	951.22	1,020.83
विकास प्राधिकरण	80.53	150.37	111.07	143.68	99.16
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	277.14	271.64	343.87	337.38	439.71
अन्य संस्थान	342.58	519.31	504.85	687.61	437.17
कुल (ख)	1,363.92	1,790.89	1,864.94	2,119.89	1,996.87
कुल (क+ख)	2,612.27	3,356.98	2,895.46	3,633.95	3,506.48
राजस्व व्यय	22,302.81	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43
राजस्व व्यय-राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	11.71	13.25	10.70	12.34	11.41

स्रोत: वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी।

तालिका 2.19 दर्शाती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2015-16 के ₹ 2,612.27 करोड़ से बढ़कर 2019-20 के दौरान ₹ 3,506.48 करोड़ हो गई जो राजस्व व्यय का 11.41 प्रतिशत थी।


वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों तथा अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थानों के अतिरिक्त अन्य को दी गई सहायता विगत वर्ष से कम थी। इसके परिणामस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में सहायता की कुल मात्रा में ₹127.47 करोड़ की गिरावट हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न

प्राप्तकर्ताओं में, नगर निगम, नगरपालिकाओं तथा पंचायती राज संस्थानों (स्थानीय निकाय) दोनों में कुल वित्तीय सहायता का 43.23 प्रतिशत दिया गया।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय, स्थिर अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों जैसे सड़क, भवनों इत्यादि के निर्माण पर हुआ प्रारंभिक व्यय होता है। 2015-20 की अवधि में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट-2.13 में दी गई है।

चार्ट 2.13: 2015-20 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2015-20 के दौरान इसमें ₹ 2,310 करोड़ (81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान, पूंजीगत व्यय (₹ 5,174 करोड़) में विगत वर्ष 2018-19 (₹ 4,583 करोड़) की अपेक्षा ₹ 591 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह कुल व्यय का 14 प्रतिशत रहा।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

तालिका 2.20 विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान पूंजी व्यय में पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों की उल्लेखनीय वृद्धि अथवा गिरावट के मामलों को दर्शाती है।

तालिका 2.20: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय के विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2018-19	जमाव (+)/ घटाव (-)
पूंजीगत व्यय	5,173.91	4,583.41	590.50
सामान्य सेवा	203.74	227.13	(-)23.39
सामाजिक सेवा	1,258.41	1,187.22	71.19
4215- जल आपूर्ति व स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	598.92	417.69	181.23
4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	231.78	345.61	-113.83
आर्थिक सेवा	3,711.76	3,169.06	542.70
5054- सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	2,205.12	1,940.98	264.14
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	326.68	137.02	189.66
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	280.06	226.60	53.46

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पूंजीगत व्यय वृद्धि मुख्य रूप से सड़कों व पुलों, लघु सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण व जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा व्यय में वृद्धि के कारण थी। यह चिकित्सा व जन स्वास्थ्य क्षेत्र पर पूंजी व्यय में कमी से आंशिक रूप से भरपाई की गई।

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

(i) निवेश तथा प्रतिफल

सरकार ने 31 मार्च 2020 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारिताओं में ₹ 4,261.00 करोड़ निवेश किए (तालिका 2.21) विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 6.05 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2015-20 के दौरान उधारों पर 7.63 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 2.21: निवेशों पर निवेश तथा प्रतिफल का विवरण

निवेश/प्रतिफल/उधार लेने की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
साल के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	3,040.67	3,293.54	3,532.97	3,848.83	4,261.06
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	111.94	289.63	255.58	181.91	248.44
प्रतिफल (प्रतिशत)	3.68	8.79	7.23	4.73	5.83
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.95	7.60	7.71	7.64	7.27
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	4.27	(-)1.19	0.48	2.91	1.44
सरकारी उधारों पर ब्याज तथा निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में)#	129.85	लागू नहीं	16.96	112.01	61.36

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष के अंत में निवेश \times ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर

₹ 4,261.06 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 3,809.76 करोड़ का निवेश (89 प्रतिशत) पांच³ कम्पनियों में किया गया था। राज्य सरकार ने घाटे वाली सरकारी कम्पनियों में निवेश करना जारी रखा।

(ii) कम्पनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

उन कम्पनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में जो घाटे में हैं अथवा जिसका नेट वर्थ नहीं है वहां पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक नहीं होता है। 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया ₹ 412.23 करोड़ का व्यय तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

³ सतलुज जल विद्युत निगम (₹1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम लिमिटेड (₹263.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹862.64 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (₹743.87 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹841.60 करोड़)

तालिका 2.22: घाटे वाली कम्पनियों में किया गया निवेश

क्रम सं०	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2018-19 तक)	निवेश 2019-20 के दौरान	निवेश (2019-20 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)				
1.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2018-19)	31.20	0.00	31.20	87.77	2018-19
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)	11.71	0.00	11.71	97.45	2016-17
3.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (2017-18)	92.98	0.00	92.98	166.56	2017-18
4.	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (2018-19)	762.71	79.39	842.10	1,387.28	2018-19
5.	हिमाचल प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (2018-19)	217.75	53.75	271.50	53.06	2018-19
6.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (2017-18)	697.63	165.00	862.63	116	2017-18
7.	एग्रो इंडस्ट्रीज पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (2013-14)	16.75	0.00	16.75	11.29	2013-14
कुल		1,830.73	298.14	2,128.87	1,919.41	

स्रोत: कम्पनियों के वित्त लेखे तथा वार्षिक लेखे

₹ 2,128.87 करोड़ के समग्र निवेश वाली सात सरकारी कम्पनियां घाटे में थी तथा इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 1,919.41 करोड़ थी। घाटा वहन करने वाली सातों सरकारी कम्पनियों में से ₹ 1,651.29 करोड़ की हानि तीन कम्पनियों (हिमाचल प्रदेश वित्त निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित) में हुई जो सरकारी कम्पनियों में हुई कुल हानि का 86 प्रतिशत था।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 412.23 करोड़ के कुल निवेश में से राज्य सरकार द्वारा ₹ 298.14 करोड़ का निवेश तीन घाटे वाली कम्पनियों में किया गया था। राज्य सरकार उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करें जिनमें भारी घाटा हुआ है, तथा उनके पुनः परिचालन अथवा समापन, जैसी भी संभावना हो, के विषय में रणनीतिक योजना का निरूपण करें।

(iii) नेट वर्थ (शुद्ध मूल्य) का क्षरण

नेट वर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी, मुक्त भण्डार तथा अधिशेष में संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय का घटाने पर प्राप्त कुल योग। वास्तव में यह माप है, कि मालिक के लिए कम्पनी का क्या मूल्य है। ऋणात्मक नेट वर्थ परिचायक है कि मालिक का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों से नष्ट (व्यर्थ) हो गया। 31 मार्च 2020 तक ₹ 2,128.87 करोड़ के पूंजीगत निवेश के प्रति सातों घाटा वहन करने वाली कम्पनियों की समग्र संचित हानियां ₹ 1,919.41 करोड़ थी। जो ₹ 209.46 करोड़ के निवेशों के नेट वर्थ के क्षरण में परिणत हुई। इनमें से घाटा वहन करने वाले दो डिस्कॉम में ₹ 1,134.13 करोड़ के पूंजीगत निवेश के प्रति ₹ 169.06 करोड़ की समग्र संचित हानियां हुई, अतः ₹ 965.07 करोड़ के नेट वर्थ का क्षरण हुआ।

(iv) सरकारी निवेश का कम्पनियों के लेखाओं से मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के रूप में सरकार के निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दर्शाए गए आंकड़ों से मिलने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्त लेखाओं में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान करना आवश्यक होता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्त लेखाओं में दिए गए विवरण तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अंतर पाया गया। अंतर आने का मुख्य कारण यह रहा कि सरकारी खातों में निवेश के लेनदेन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त वाउचरों के आधार पर बुक किए जा रहे हैं, जबकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिए गए विवरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अलग-अलग प्राप्त किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या के साथ ही इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के अंतर का मिलान किया जा रहा है। अंतर का पता लगाने के लिए मिलान समयबद्ध तरीके से किए जाने की आवश्यकता है।

(v) उज्ज्वल-डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय टर्नओवर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य डिस्कॉम के संचालन तथा वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शुरू की (नवम्बर 2015)। राज्यों को दो वर्षों में 75 प्रतिशत डिस्कॉम ऋण 30 सितम्बर 2015 तक लेना था अर्थात् 50 प्रतिशत डिस्कॉम ऋण 2015-16 तक तथा 25 प्रतिशत 2016-17 में।

डिस्कॉम को निर्धारित चुकौती समय-सारणी के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार को मूलधन राशि चुकाने के साथ ब्याज की देयता का निर्वहन करने का दायित्व भी था (उदय के तहत बांड धारकों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की तिथि के 15 दिन पूर्व)। ब्याज/मूलधन का भुगतान देय तिथि तक करने में विफल होने पर डिस्कॉम को विलम्बित अवधि हेतु बकाया राशि पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा।

उदय बांड पर 7.88 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर का मूल तात्त्विक ब्याज है। इन बांड पर मूलधन की चुकौती हेतु पांच वर्ष की ऋण-स्थगन अवधि दी गई है तथा चुकौती 2022-23 से प्रारम्भ होगी। मूलधन को ₹ 289.05 करोड़ प्रतिवर्ष की 10 समान किस्तों में 2031-32 तक मुक्त करना था। वार्षिक ब्याज देयता ₹ 227.78 करोड़ है, जो वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ से प्रति वर्ष 28 अगस्त एवं 28 फरवरी को अर्धवार्षिक आधार पर देय है।

हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2016-17 में 30 सितम्बर 2015 तक के हिमाचल प्रदेश डिस्कॉम के बकाया ऋण (₹ 3,854 करोड़) का सम्पूर्ण 75 प्रतिशत (₹ 2,890.50 करोड़) लेने के लिए 8 दिसम्बर 2016 में भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (डिस्कॉम) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया। त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय बाण्ड (7.88 प्रतिशत) जारी करके ₹ 2,890.50 करोड़ राशि की निधियां अर्जित की तथा 2016-17 के दौरान डिस्कॉम को ये निधियां

हस्तांतरित की गई। डिस्काम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का यह बकाया ऋण वर्ष 2020-21 में अनुदान (₹ 2,167.50 करोड़) तथा इक्विटी (₹ 723 करोड़) में रूपांतरित होना है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान बाण्ड धारकों को ब्याज के रूप में ₹ 227.78 करोड़ वितरित किए तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ₹ 113.89 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया।

(vi) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अर्न्तगत राज्य के पास उपलब्ध संसाधन

सार्वजनिक निजी भागीदारी सरकार अथवा सांविधिक कम्पनी तथा किसी निजी क्षेत्र कम्पनी के मध्य एक ऐसी व्यवस्था है, जो उन्हें बुनियादी विकास हेतु जनता की मांग की पूर्ति करने के लिए एक-साथ कार्य करने हेतु रूपरेखा / ढांचा प्रदान करती है।

पूर्ण, चल रही तथा भविष्यगामी योजनाबद्ध सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का कुल अनुमानित लागत के साथ क्षेत्र-वार विवरण तालिका-2.23 में दिया गया है।

तालिका 2.23: सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुभाग	पूर्ण		चल रही है		भविष्यगामी योजनाएं	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	शहरी अवसंरचना	7	129.00	12	1,180.00	3	-
2.	ऊर्जा*	28	3,125.99	15	3,838.60	53	2,872.60
3.	सामाजिक	4	115.00	-	-	-	-
4.	अन्य	-	-	2	15.50	-	-
योग		39	3,369.99	29	5,034.10	56	2,872,60

* ऊर्जा क्षेत्र के अर्न्तगत अनुमानित लागत में 23 (28 में से) पूर्ण परियोजनाओं; 14 (15 में से) चल रही परियोजनाओं तथा 25 (53 में से) भविष्यगामी परियोजनाओं की लागत शामिल है।

(vii) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

सहकारी सोसायटियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध कराती है। तालिका 2.24, 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के साथ 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण एवं अग्रिम प्रस्तुत करती है।

तालिका-2.24: 2015-20 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण / ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत की प्रमात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋण का आरंभिक शेष*	2,346.82	2,784.08	6,044.27	6,507.18	6,953.33
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	463.16	3,289.69	502.53	467.98	458.21
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	25.90	29.50	39.62	21.83	21.03
बकाया ऋणों का अंत शेष*	2,784.08	6,044.27	6,507.18	6,953.33	7,390.49
निवल योग	437.26	3,260.19	462.91	446.15	437.17

ऋण / ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत की प्रमात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्राप्त ब्याज	53.38	80.35	255.59	272.15	135.11
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	2.27	2.89	4.24	4.18	1.94
विगत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	8.26	8.15	8.02	7.88	7.79
चुकाए ब्याज तथा प्राप्त ब्याज (प्रतिशत)की दर के मध्य अन्तर के कारण काल्पनिक हानि	5.99	5.26	3.79	3.70	5.85

स्रोत: वित्त लेखे

* 2016-17 से आरंभिक एवं अंत शेष में उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है।

31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण तथा अग्रिमों की कुल राशि ₹ 7,390 करोड़ थी। आर्थिक सेवाओं के भीतर मुख्य प्राप्तकर्ता विद्युत क्षेत्र ₹ 423 करोड़ (92.36 प्रतिशत) तथा सहकारिता ₹ 24 करोड़ (5.24 प्रतिशत) थे।

2017-18 में वसूली की गई ₹ 39.62 करोड़ की राशि विगत पांच वर्षों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की सर्वाधिक प्रमात्रा थी। उसके बाद से ऋणों व अग्रिमों की वसूली में घटती प्रवृत्ति देखी गई। बल्कि इस सन्दर्भ में ब्याज प्राप्तियां भी विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से घट गई। इससे राज्य सरकार द्वारा वसूली तंत्र की समीक्षा की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है।

कुल बकाया ऋणों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विद्युत परियोजनाओं तथा उद्योग एवं खनीज के अंतर्गत आने वाले कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विगत पांच वर्षों से (मार्च 2020 तक) ऋणों की चुकौती नहीं की थी तथा मामूली चुकौती के बावजूद फसलपालन को अतिरिक्त ऋण प्रदान किए गए थे जिससे वर्षों से समग्र बकाया शेष में वृद्धि होती रही।

राज्य सरकार ऋणों की वसूली करने में कमजोर है, अतः इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में माने तथा उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखे सही स्थिति को दर्शा रहे हैं।

(viii) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरूद्ध पूंजी की प्रवृत्ति का आंकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी दर्शाती है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से आहत करता है तथा राज्य को लम्बी अवधि के लिए अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण तथा ब्याज देयताओं को पूरा करने के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती है।

वर्ष 2019-20 हेतु राज्य के वित्त लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक लोक निर्माण एवं सिंचाई प्रभागों में 13 अपूर्ण/चल रही परियोजनाएं थी। 31 मार्च 2020 तक इन परियोजनाओं के संस्वीकृत वर्ष/प्रारंभ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-रूपरेखा तथा विभाग-वार रूपरेखा **तालिका-2.25 (क)** तथा **तालिका 2.25 (ख)** में दी गई है।

तालिका-2.25 (क): 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की आयु-रूपरेखा।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधूरे कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत/पुनः लागत	कुल व्यय (31 मार्च 2020 तक)
1996-97	01	16.36	9.40
2009-10	01	-	10.98
2011-12	03	59.40	62.30
2012-13	-	-	-
2013-14	-	-	-
2014-15	03	177.15	89.19
2015-16	-	-	-
2016-17	05	76.15	96.07
2017-18	-	-	-
2018-19	-	-	-
कुल	13	329.06	267.94

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.25 (ख): 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अधूरे कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण (पुल एवं सड़कें)	5	186.24	149.88
सिंचाई	8	126.46	118.06
कुल	13	312.70	267.94

स्रोत: वित्त लेखे

अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से आहत करता है तथा राज्य को लम्बी अवधि के लिए अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। समय बढ़ने के कारण उत्पन्न लागत वृद्धि से बचने के लिए इन सभी उपरोक्त परियोजनाओं को बिना विलम्ब पूर्ण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

2.4.4 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनके व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.26, 2015-16 को आधार वर्ष लेते हुए 2019-20 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय तथा पूंजीगत व्यय के सन्दर्भ में विशेष श्रेणी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका- 2.26: 2015-16 तथा 2019-20 में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)


राज्य की वित्तीय प्राथमिकता	सकल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सामाजिक क्षेत्र व्यय/सकल व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/सकल व्यय	विकासात्मक व्यय/सकल व्यय	पूँजीगत व्यय/सकल व्यय	शिक्षा /सकल व्यय	स्वास्थ्य /सकल व्यय
औसत (अनुपात) 2015-16 में							
विशेष श्रेणी राज्य	24.58	36.25	30.10	66.34	13.96	18.32	5.95
हिमाचल प्रदेश	22.44	34.23	31.05	65.28	11.17	17.29	5.53
औसत (अनुपात) 2019-20 में							
विशेष श्रेणी राज्य	23.02	35.42	28.77	64.20	14.08	17.42	6.19
हिमाचल प्रदेश	21.97	36.59	28.88	65.47	14.23	17.66	6.34

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, 2015-16 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य के समग्र व्यय के अनुपात के रूप में राजकोषीय प्राथमिकता का प्रत्येक घटक (आर्थिक क्षेत्र व्यय के अतिरिक्त) विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था, यद्यपि यह 2019-20 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों से अधिक रहा। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के रूप में समग्र व्यय 2015-16 तथा 2019-20 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों से कम था। 2015-16 तथा 2019-20 के दौरान आर्थिक क्षेत्र में राज्य का व्यय विशेष श्रेणी राज्यों से अधिक रहा।

2.4.5 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय, व्यय की वस्तु/प्रयोजन के विषय में जानकारी देता है। चार्ट 2.14, वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण प्रदान करता है।

चार्ट-2.14: वस्तु शीर्ष-वार व्यय (प्रतिशत में)



2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हे सविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2020 की समाप्ति पर राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.27 में दिए गए हैं।

तालिका 2.27: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

विभाग	उप-विभाग	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
I - लघु बचत भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत भविष्य निधि, इत्यादि	10,639.90	11,844.41	13,236.38	14,349.53	15,537.13
J - आरक्षित निधि	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधि	0.71	0.95	8.48	1.00	1,887.65
	(ख) आरक्षित निधि पर ब्याज नहीं	218.62	218.63	316.54	316.60	834.66
	कुल (J):	219.33	219.58	325.02	317.60	2,722.31
K - जमा एवं अग्रिम	(क) जमा एवं अग्रिम	8.39	8.07	-0.89	-1.41	-1.64
	(ख) जमा एवं अग्रिम पर ब्याज नहीं	2,419.83	2,601.51	2,799.09	3,208.52	3,382.45
	(ग) अग्रिम	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.51
	कुल (K):	2,427.69	2,609.05	2,797.67	3,206.58	3,380.30
L - उचंत एवं विविध	(क) उचंत	263.55	191.81	73.04	74.12	-1,330.44
	(ख) अन्य लेखें	-556.62	-759.25	-723.54	-101.91	-982.25
	(ग) बाह्य सरकारी के साथ लेखें	-	-	-	-	-
	(घ) विविध	-	-	-	-	-
	कुल (L):	-293.07	-567.44	-650.50	-27.79	2,312.69
M - प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण	363.54	332.91	398.45	509.19	612.45
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन खाता	-0.09	-4.69	-1.21	0.31	-6.16
	कुल (M):	363.45	328.22	397.24	509.50	606.29
सकल योग		13,357.30	14,433.82	16,105.81	18,355.42	19,933.34


स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

टिप्पणी: -(ऋणात्मक) डेबिट शेष को दर्शाता है तथा +(धनात्मक) क्रेडिट शेष को दर्शाता है।

2015-20 से पांच वर्ष की अवधि में लोक लेखा में शेष राशि के संघटक में आए वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.15 में दिए गए हैं।

चार्ट 2.15:- लोक लेखा शेषों के संघटन में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)




स्त्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

टिप्पणी: उचंत एवं विविध को अन्य लेखाओं से बाहर रखा गया है।

उपरोक्त तालिका 2.27 से देखा जा सकता है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान निवल-लोक लेखा शेष में निरंतर वृद्धि हुई। यह 2015-16 के ₹13,358 करोड़ से ₹6,575 करोड़ बढ़कर 2019-20 के दौरान ₹19,933 करोड़ हो गए। 2019-20 के दौरान निवल शेष में हुई वृद्धि का मुख्य कारण आरक्षित एवं उचंत शीर्षों में निवल वृद्धि रही।

2019-20 में निवल लोक लेखा शेष में विगत वर्ष की अपेक्षा 8.60 प्रतिशत की वृद्धि होने का मुख्य कारण लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि (₹1,187.60 करोड़) में वृद्धि रही, जो आरक्षित निधियों (₹2,404.71 करोड़) व उचंत एवं विविध में गिरावट (₹2,284.90 करोड़) के कारण संतुलित हो गई।

31 मार्च 2020 तक निवल लोक लेखा शेष की पड़ौसी राज्यों से तुलना चार्ट 2.15 (क) में दी गई है। तुलना दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश के ₹19,933 करोड़ के लोक लेखा शेष के प्रति हरियाणा का शेष ₹33,581 करोड़ रहा तथा पंजाब का शेष ₹33,745 करोड़ रहा।



2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियां राज्य की समेकित निधि के अंशों अथवा अनुदानों के योगदान से पूर्ण की जाती हैं।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं की **विवरणी 21 तथा 22** में उपलब्ध है। पांच आरक्षित निधियां (दो आरक्षित निधियां सब्याज तथा तीन आरक्षित निधियां ब्याज रहित) निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु निर्धारित की गई थी। यदि ब्याज रहित आरक्षित निधियों में निवेश नहीं किया गया हो तो इन सब्याज आरक्षित निधियों के शेष पर ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जाता है तथा इन शेषों भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केन्द्रीय लेखा विभाग के प्रशासन के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूति/कोषागार बिल में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2020 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि (सब्याज तथा ब्याज रहित) **तालिका 2.28** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.28: आरक्षित निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षित निधि का नाम	बकाया शेष 31 मार्च 2020 तक
क	आरक्षित निधि ब्याज सहित	1,887.65
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	226.93
2	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष	1,660.72
ख	आरक्षित निधि ब्याज रहित	834.66
1	औद्योगिक विकास कोष	0.16
2	विद्युत विकास कोष	315.52
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	518.98
	कुल योग	2,722.31

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त में से, एक ब्याज रहित आरक्षित निधि अर्थात् औद्योगिक विकास कोष विगत पांच वर्षों से परिचलान में नहीं थी। राज्य सरकार ने इस अपरिचालित आरक्षित निधि को अभी तक बंद करके उसके शेष को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित करना है।

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान समेकित ऋण शोधन निधि में करना अपेक्षित है। तथापि राज्य सरकार ने समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार की बकाया राज्य देयताएं ₹ 54,299 करोड़ थी। यदि समेकित ऋण शोधन निधि होती तो 2019-20 में निधियों के प्रति राज्य सरकार की देयताएं ₹ 271.50 करोड़ होती (विगत वर्ष की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) यह दर्शाती है कि उस सीमा तक राजस्व अधिशेष में अन्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना इत्यादि के पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किए गए व्यय की पूर्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार से इस निधि में 90:10 के अनुपात में अंश देना अपेक्षित है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अंश की प्राप्ति राज्य लेखाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु केन्द्र सरकार 07-वित्त आयोग अनुदान 104-सहायता अनुदान से मुख्य शीर्ष 1601-सहायता अनुदान के अंतर्गत राजस्व के रूप में लेखांकित की जाती है। अंशदान की समस्त राशि (केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश) के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-101-आरक्षित निधि में हस्तांतरण तथा निक्षेप लेखे-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लेखे 2245-राहत शीर्ष के अंतर्गत उचित बजट प्रावधान बनाती है। केन्द्रीय अंश की प्राप्ति होने पर राज्य अपने अंश के साथ यह राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के अधीन सब्याज आरक्षित निधि के अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित करेगा। राहत कार्यों पर हुआ वास्तविक व्यय केवल मुख्य 2245 के अंदर सम्बन्धित उप/लघु शीर्ष में ही बुक किया जाएगा।

राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय दोनों को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंको के अन्य सब्याज निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के सहायक दस्तावेजों/सह-वाउचरों/साक्ष्य के अभाव के कारण सभी निधियों पर आपत्ति की गई तथा इसे आपत्ति पुस्तिका उचंचत लेखा-8658-102 के अंतर्गत रखा गया था, फलस्वरूप वित्त लेखाओं में व्यय की कोई राशि नहीं दर्शाई गई।

2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बॉण्ड तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 'प्रत्याभूति विमोच्य निधि' का गठन करती है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी।

जैसाकि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित की गई लेखा बहियों में दर्शाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष से पहले के दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित है।

इन निधियों का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यद्यपि राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की थी। फलस्वरूप 31 मार्च 2020 तक राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 21.55 करोड़ तक न्यूनोक्ति हुई।

2.5.2.4 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष

क्षतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बन्धित गतिविधियां एवं इसके अतिरिक्त अन्य

सम्बन्धित अथवा वहां घटित आकस्मिक मामलों के लिए संग्रहित धन के उपयोग तथा प्राप्त राशि के प्रबंधन हेतु राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष का सृजन अपेक्षित है। इस कोष के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए। 2019-20 के दौरान पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष से हिमाचल प्रदेश के अंश के रूप में ₹ 1,660.72 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। यह राशि 8121-129-राज्य क्षतिपूरक, वनीकरण कोष के अंतर्गत बुक की गई है।

2.5.3 उचंत एवं विविध


विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान उचंत लेखा की शेष राशि में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान ₹1,373.77 करोड़ के वास्तविक व्यय (राजस्व व्यय: ₹1,202.25 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय: ₹171.52 करोड़) से सम्बन्धित बिल/वाउचर के प्रस्तुत न करने के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय ने आपत्ति उठाई तथा सम्पूर्ण राशि वस्तु शीर्ष 8658-102-उचंत लेखा (लोक लेखा) में रखी गई। कोषागार से राशि का आहरण विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मात्र संस्वीकृत आदेशों के आधार पर किया गया था तथा सरकारी खातों के बाहर विभिन्न बचत बैंक खातों में रखी गई थी। राज्य सरकार ने उपरोक्त राशि को वास्तविक व्यय हुए बिना राज्य विधानसभा द्वारा दिए गए बजट प्रावधानों के विरुद्ध व्यय के रूप में मान लिया था।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

2015-16 से 2019-20 के दौरान वर्ष-वार समग्र ऋण नीचे चार्ट 2.16 में दिया गया है:

चार्ट 2.16: 2015-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश में बकाया ऋण का विवरण



2.6.1 ऋण रूपरेखा: घटक


राज्य सरकार का कुल ऋण, राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताएं निर्मित करता है। 2019-20 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं चार्ट 2.17 में दर्शाई गई हैं। 2015-16 से प्रारंभ हो कर पांच वर्ष की अवधि हेतु राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्ति तालिका 2.29 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.29: घटक-वार ऋण प्रवृत्ति

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
समग्र बकाया ऋण	41,197.43	47,244.02	51,030.51	54,299.19	62,211.84	
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	26,860.93	31,494.03	33,591.47	35,363.18	39,527.77
	भारत सरकार से ऋण	1,049.05	1,076.43	1,079.43	1,061.77	1,043.81
लोक लेखा देयताएं	13,287.45	14,673.57	16,359.61	17,874.24	21,640.25	
समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.87	14.68	8.01	6.41	14.57	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	114,239	125,634	138,351	153,845	165,472	
समग्र ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	36.06	37.60	36.88	35.29	37.60	
लोक ऋण प्राप्ति	6,129.21	8,603.31	5,600.29	6,427.41	10,847.39	
लोक ऋण चुकौती	3,947.74	3,942.84	3,499.85	4,673.34	6,700.75	
उपलब्ध लोक ऋण	2,181.47	4,660.47	2,100.44	1,754.07	4,146.64	
लोक ऋण चुकौती/प्राप्ति (प्रतिशत)	64.41	45.83	62.49	72.71	61.77	
निवल लोक लेखा प्राप्ति	824.14	1,386.11	1,686.04	1,514.64	2,457.90	
उपलब्ध कुल ऋण	3,005.61	6,046.58	3,786.48	3,268.71	6,604.54	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.17: 31 मार्च 2020 को समाप्त बकाया ऋण का विवरण




राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2015-16 के ₹ 41,197 करोड़ से 51.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2019-20 में बढ़कर ₹62,212 करोड़ हो गई जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण (₹12,666.85 करोड़) तथा लोक लेखा देयताओं (₹8,352.80 करोड़) में वृद्धि थी। 2019-20 कुल राजकोषीय देयताओं में 14.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि यह पिछले वर्ष 6.41 प्रतिशत थी। राजकोषीय देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 2015-16 के 36.06 प्रतिशत से बढ़ कर 2019-20 में 37.60 प्रतिशत हो गया। यह देयताएं राजस्व प्राप्तियों की 2.02 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों की 6.14 गुना थी।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 की मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित ₹57,518 करोड़⁴ के लक्ष्य से ₹62,212 करोड़ की राजकोषीय देयताएं उच्च स्तर पर थीं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋण का प्रतिशत विगत पांच वर्षों (2015-20) में 35 से 38 प्रतिशत के मध्य ही स्थिर रहा। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों का 59 से 77 प्रतिशत, पिछले दायित्वों की चुकौती में प्रयुक्त किया था।

चार्ट- 2.18: लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में चुकौती

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 2015-16 के ₹ 6,079 करोड़ से ₹ 4,698 करोड़ (77.28 प्रतिशत) बढ़कर 2019-20 में ₹ 10,777 करोड़ हो गया। 2019-20 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 2,985.69 करोड़ का ब्याज चुकाया गया।

बाजारी उधार राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का बड़ा हिस्सा होता है, जिसकी ब्याज दरें 6.30 से 9.75 प्रतिशत के मध्य हैं। 2019-20 में ₹10,777 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से बाजार ऋण ₹6,580 करोड़ थे। ₹ 6,612 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण चुकौती में से ₹ 2,120 करोड़ बाजार ऋण चुकाए गए थे। 31 मार्च 2020 तक बकाया बाजारी उधार ₹ 28,142 करोड़ थे। बाजारी उधारों में 18.83 प्रतिशत (₹ 4,460 करोड़) की निवल वृद्धि हुई। बिना किसी महामारी वाले वर्ष में भारी उधारों के सन्दर्भ में, राज्य सरकार ने अंतिम बैठक में कहा कि 2019-20 हेतु केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 7,398 करोड़) के अंतर्गत अनुमानित प्राप्तियों के प्रति भारत सरकार ने ₹ 5,769 करोड़ के अनुमान

⁴ अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹1,68,972 करोड़) का 34.04 प्रतिशत

संशोधित किए। हालांकि केन्द्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश के अंतर्गत राज्य सरकार को वास्तविक राशि मात्र ₹ 4,677 करोड़ जारी किए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को खुले बाजार से और अधिक उधार लेने पड़े।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न) में संगठनात्मक परिवर्तन आया है जिसे तालिका 2.30 में दर्शाया गया है। राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए 2015-16 से 2019-20 की अवधि में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, लोक लेखा सहित ऋण की प्रवृत्ति को चार्ट 2.19 में चिन्हांकित किया गया है।

तालिका-2.30: राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसका वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटे के संघटक	2,164.09	2,948.60#	3,869.87	3,512.54	5,597.41
क राजस्व अधिशेष	1,137.67	920.12	313.90	1,508.21	11.98
ख निवल पूंजीगत व्यय	-2,864.49	-3,499.03	-3,720.85	-4,574.59	-5,171.87
ग निवल अग्रिम एवं ऋण	-437.27	-369.69#	-462.92	-446.15	-437.17
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न) *					
1 बाजारी उधार	1,664.45	2,162.65	2,550.99	2,108.10	4,460.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	(-) 21.81	27.38	3.00	(-) 17.65	(-) 17.95
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	975.15	(-) 500.77	(-) 514.71	(-) 538.25	(-) 569.10
4 वित्त संस्थाओं से लिया गया ऋण	(-) 436.32	80.31#	61.16	201.86	273.69
5 लघु बचत, भविष्य निधि	718.43	1,204.51	1,391.97	1,113.14	1,187.60
6 निक्षेप एवं अग्रिम	114.87	181.36	188.63	408.91	173.71
7 उंचत एवं विविध	(-) 33.55	(-) 71.74	(-) 118.76	1.08	(-) 1,404.92
8 प्रेषण	147.57	(-) 35.23	69.02	112.25	96.80
9 आरक्षित निधि	(-) 9.15	0.25	105.45	(-) 7.43	2,404.71
10 कुल घाटा	3119.64	3048.72	3736.75	3382.01	6604.54
11 नकद शेष में वृद्धि (-) गिरावट (+)	-955.55	-100.12	133.12	130.53	(-) 1,007.48
12 सकल राजकोषीय घाटा	2,164.09	2,948.60#	3,869.87	3,512.54	5,597.06

स्रोत: वित्त लेखे


*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/जारी किए गए का कुल है।

₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कॉम को ऋण) की राशि को छोड़कर

2015-20 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, जिसमें बाजारी उधार, वित्तीय संस्थानों इत्यादि से प्राप्त ऋण सम्मिलित है।

चार्ट 2.19: 2015-20 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषित की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



2019-20 में राजकोषीय घाटे (₹5,597 करोड़) को बड़े पैमाने पर बाजारी उधारों (₹4,460 करोड़) आरक्षित निधि (₹ 2,405 करोड़) एवं लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि (₹1,188 करोड़) द्वारा प्रबंधित किया गया था। तालिका 2.31 राजकोषीय घाटे के घटकों के तहत प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाती है।

तालिका -2.31: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्तियां	संवितरण	निवल
1 बाजारी उधार	6,580.00	2,120.00	4,460.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	70.48	88.43	-17.95
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0	569.10	-569.10
4 वित्त संस्थाओं से लिया गया ऋण	4,196.91	3,923.22	273.69
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	3,834.47	2,646.87	1,187.60
6 निक्षेप एवं अग्रिम	4,060.19	3,886.48	173.71
7 उच्चत एवं विविध	4,534.10	5,938.65	-1,404.55
8 प्रेषण	7,735.47	7,638.67	96.80
9 आरक्षित निधि	2,404.71	0	2,404.71
10 समग्र घाटा	33,416.33	26,811.42	6,604.91
11 नकद शेष में वृद्धि/गिरावट	52.70	1,060.18	-1,007.48
12 सकल राजकोषीय घाटा	33,469.03	27,871.60	5,597.43

स्त्रोत: वित्त लेखे

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी


ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी अथवा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है। राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.32 तथा चार्ट 2.20 में दी गई है।

तालिका 2.32: लोक ऋण की ऋण परिपक्वता रूपरेखा की अदायगी

परिपक्वता का वर्ष	चुकौती की अवधि (वर्षों में)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (लोक ऋण के संदर्भ में)
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	कुल	
2020-21 से	0 - 1	3,305	94	3,399	8
2021-22 से 2022-23 के मध्य	1 - 3	6,484	195	6,679	17
2023-24 से 2024-25 के मध्य	3 - 5	6,865	170	7,035	17
2025-26 से 2026-27 के मध्य	5 - 7	7,988	106	8,094	20
2027-28 से लगातार	7 और इससे अधिक	14,886	479	15,365	38
	अन्य ⁵	--	--	--	--
कुल		39,528	1,044	40,572	100

स्त्रोत: वित्त लेखे


⁵ इस राशि की भुगतान अनुसूची, लेखा व हकदारी विभाग द्वारा नहीं बनायी जाती है।



मार्च 2020 तक कुल बकाया लोक ऋण ₹ 40,572 करोड़ था। 31 मार्च 2020 तक लोक लेखा की बकाया पूंजी की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि 62 प्रतिशत (₹ 25,207 करोड़) कुल बकाया ऋण सात वर्षों में तथा शेष ₹15,365 करोड़ (38 प्रतिशत) सात वर्षों के बाद परिपक्व होने थे।

ब्याज सहित बकाया लोक ऋण की अदायगी समय सारणी चार्ट 2.21 में दी गई है।

चार्ट-2.21: लोक ऋण की अदायगी समय-सारणी (₹ करोड़ में)




₹62,234 करोड़ के ब्याज सहित कुल बकाया लोक ऋण (मूलधन: ₹ 40,572 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 21,662 करोड़) में से 11 प्रतिशत (₹ 6,735 करोड़) अगले वर्ष में देय है। 39 प्रतिशत (₹ 24,302 करोड़) 1-5 वर्षों के समय में देय है जबकि शेष 50 प्रतिशत (₹ 31,197 करोड़) पांच वर्ष से अधिक समय तक चुकाए जाने हैं। लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज के रूप में वार्षिक धन निकासी 2024-25 तक के पांच वर्ष के दौरान लगभग ₹ 6,207 करोड़ होगी। लोक ऋण की वर्तमान वार्षिक अदायगी (मूलधन) ब्याज समेत ₹ 6,327 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम के ₹ 3,444 करोड़ छोड़कर) है।

दस वर्षों की अवधि में बकाया बाजारी ऋण की राशि तथा उस पर चुकाए जाने वाले ब्याज का विवरण चार्ट 2.22 में दिया गया है।

चार्ट 2.22: बाजारी ऋणों की अदायगी समय सारणी

(₹ करोड़ में)



राज्य को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2022-23 तक बाजार ऋणों के मूलधन के ₹ 7,567 करोड़ तथा ब्याज के ₹ 5,960 करोड़ चुकाने होंगे। 2024-25 तक के आगामी दो वर्षों में ₹ 4,995 करोड़ मूलधन तथा ₹ 2,964 करोड़ ब्याज देय होगा। 2024-25 तक आगामी पांच वर्षों के दौरान ऋण अदायगी एवं ब्याज के रूप में वार्षिक धन निकासी लगभग ₹ 4,297 करोड़ होगी। ब्याज समेत ऋण की वर्तमान वार्षिक अदायगी ₹ 4,118 करोड़ है।

2025-26 से 2029-30 की अवधि में ₹12,480 करोड़ का ऋण तथा ₹ 3,737 करोड़ का ब्याज देय होगा। ऐसे में राज्य को इस अवधि के दौरान लगभग ₹ 3,243 करोड़ सालाना चुकाने होंगे।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, राज्य की ऋण धारणीयता का निर्धारण करने वाले तथा भविष्य में राज्य के ऋण दायित्वों को चुकाने में उसकी क्षमता का संकेत देने वाले विभिन्न मापदण्डों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह प्रभाग बकाया ऋणों की वृद्धि; ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति, ऋण अदायगी एवं ऋण प्राप्ति के अनुपात; राज्य के पास उपलब्ध कुल ऋण के संदर्भों में सरकार के ऋण की धारणीयता का आंकलन प्रस्तुत करता है। तालिका 2.33, 2015-16 से प्रारंभ होकर अगले पांच वर्षों की अवधि हेतु इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.33: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	27,910	32,570	34,671	36,425	40,572
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.48	16.70	6.45	5.06	11.39
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,14,239	1,25,634	1,38,351	1,53,845	1,65,472
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.09	9.97	10.12	11.2	7.56
लोक ऋण / सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	24.43	25.92	25.06	23.68	24.52
लोक ऋण को औसत ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,244	2,459	2,829	2,958	3,071
बकाया लोक ऋण पर औसत ब्याज दर (ब्याज भुगतान/लोक ऋण का आरम्भिक शेष+लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)	8.37	8.13	8.41	8.32	7.97

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्रतियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.57	9.36	10.34	9.56	9.99
लोक ऋण से लोक ऋण संवितरणों का प्रतिशत	64.42	45.83	62.50	72.71	61.78
राज्य को उपलब्ध निवल लोक ऋण (₹ करोड़ में)#	(-) 63	2,201	(-)729	(-)1,204	1,075
ऋण प्राप्तियों से निवल ऋण उपलब्ध का प्रतिशत	-1.03	25.58	-13.02	-18.73	9.92
ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार + प्राथमिक घाटा) (₹ करोड़ में)	1,470	1,010	511	1,559	-1,529

स्त्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पर लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज भुगतान के सापेक्ष अधिक लोक ऋण प्राप्तियों के रूप में की जाती है।

*बकाया लोक ऋण, केन्द्र सरकार से 6003-आंतरिक ऋण एवं 6004-ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त बकाया शेषों का योग है।


प्रमात्रा विस्तार= ऋण पूंजी* ब्याज विस्तार= सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर

ऋण स्थिरता की आवश्यक शर्त है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण के ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होने की संभावना होगी बशर्ते प्राथमिक शेष, शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली रूप से ऋणात्मक हो। इस प्रकार, यदि प्राथमिक घाटा परिमाण विस्तार के साथ मिलकर ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा।

यह स्पष्ट है कि 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लोक ऋण का अनुपात 24 से 26 प्रतिशत की सीमा के भीतर था तथा बजट में ऋण हेतु निर्धारित 31.11 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से कम था। विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि मात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटे के ऋणात्मक आंकड़े के कारण हुई। 2015-16 से प्रारंभ हो कर पांच वर्षों हेतु ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्ति चार्ट 2.23 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.23: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



2015-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का लोक ऋण 2015-16 के ₹ 27,910 करोड़ से 45.37 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2019-20 में ₹ 40,572 करोड़ तक बढ़ गया।

ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों पर नौ से दस प्रतिशत तक था। 2015-20 के दौरान ऋण प्राप्तियों का 45.83 से 72.71 प्रतिशत मौजूदा देयताओं के निर्वहन में प्रयुक्त किया गया। यद्यपि, 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.69 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई, बकाया लोक ऋण में 7.77 प्रतिशत की तीव्र दर से वृद्धि हुई।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई धनराशि का आदर्श उपयोग पूंजी सृजन तथा विकासात्मक गतिविधियों में होता है। उधार ली गई निधियों को वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज के भुगतान में उपयोग करना अनुचित है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका 2.34 तथा चार्ट 2.24 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.34: उधार ली गई निधियों का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष	1	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल उधारियां	2	6,129.21	8,603.31	5,600.29	6,427.40	10,847.39
पिछली उधारियों की चुकौती (मूलधन)	3	3,947.73 (64.41)	3,942.84 (45.83)	3,499.85 (62.49)	4,673.35 (72.71)	6,700.75 (61.77)
निवल पूंजीगत व्यय*	4	2,181.48 (35.59)	3,499.03 (40.67)	2,100.44 (37.51)	1,754.05 (27.29)	4,146.64 (38.23)
संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	5	-शून्य-	1,161.44 (13.50)	- शून्य -	- शून्य -	- शून्य -
राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग	6	$\{2 - (3+4+5)\}$ - शून्य -				

*निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय - विविध पूंजीगत प्राप्तियां

कोष्ठक में दर्शाए आंकड़े उधार ली गई निधियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

चार्ट 2.24: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ



2015-20 के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने में उपयोग नहीं किया गया था। उधार ली गई निधियां पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी तथा पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग की गई थी।

2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति)-आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं होती हैं जो ऐसे उधारकर्ता, जिन्हें गारंटी दी गई है उनके बकाया(चूक) होने की स्थिति में उत्पन्न होती है। वित्त लेखाओं की विवरणी-9 तथा 20 के अनुसार, विगत पांच वर्षों में अधिकतम राशि हेतु राज्य द्वारा दी गई गारंटियां तालिका 2.35 में दी गई है तथा वे प्राप्तकर्ता/निकाय जिन्होंने 31 मार्च 2020 की समाप्ति तक राज्य सरकार की गारंटियां प्राप्त की उनके विवरण चार्ट 2.25 में दिए गए हैं।


तालिका 2.25: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटियां	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गारंटियों की बकाया राशि	3,714.39	4,550.42	4,393.66	4,309.21	1,947.07
वर्ष के दौरान वृद्धि	367.00	3,053.02	146.27	74.28	639.70
वर्ष के दौरान विलोपन	933.93	2,217.00	303.03	158.72	3001.84*
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज (मानदंड) सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	21	19	17	16	6

* इस वर्ष के वित्त लेखाओं से हटाए गए ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कॉम को ऋण) तथा ₹13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में दर्शाए गए थे।

चार्ट- 2.25: 31 मार्च 2020 की समाप्ति तक गारंटियां प्राप्त करने वाले निकाय



स्रोत: वित्त लेखे

2019-20 के दौरान गारंटी की कोई राशि नहीं मांगी गई थी। वित्त लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2020 तक बकाया गारंटी ₹ 1,947 करोड़ थी। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे चालू नहीं थे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार ने आंकड़ों के अंतर का मिलान

नहीं किया था। वर्ष के दौरान (₹ 640 करोड़) राज्य सरकार द्वारा जिन्हें गारंटियां दी गई वे मुख्य प्राप्तकर्ता थे विद्युत (₹ 325 करोड़), सांविधिक निगम एवं बोर्ड (₹ 210 करोड़), सरकारी कम्पनियां (₹ 66 करोड़) तथा सहकारी बैंक (₹ 39 करोड़)। 2019-20 की समाप्ति पर गारंटियों की बकाया राशि (₹ 1,948 करोड़) राज्य के पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की छह प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश नियमावली, 2009 एवं सरकार के दिशानिर्देशानुसार (6 मार्च 1992) गारंटी शुल्क (1 प्रतिशत) तथा प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) गारंटी के मंजूरी के समय उधारकर्ताओं पर लगाया जाएगा। राज्य सरकार के पास निकायों/कम्पनियों से प्राप्त करने योग्य/देय गारंटी शुल्क एवं प्रतिबद्धता प्रभारों की राशि के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों में (2018-19 तक), राज्य सरकार ने गारंटी शुल्क एवं प्रतिबद्धता प्रभारों की कोई राशि प्राप्त/उदग्रहित नहीं की। यद्यपि, 2019-20 के दौरान, हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित से गारंटी कमीशन शुल्क के रूप में ₹ 0.72 लाख की अल्प राशि प्राप्त की गई थी।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन शेष अनुमत न्यूनतम से कम हो जाता है, तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है। राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकार को सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों हेतु अधिकतम सीमा 1 फरवरी 2016 से ₹ 550 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देता है।

2019-20 के दौरान, राज्य सरकार 327 दिनों के लिए न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रख सकी। सरकार को 25 अवसरों पर ₹ 2,516 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम के रूप में तथा 13 अवसरों पर ₹ 928 करोड़ अधिक विकर्ष भारतीय रिजर्व बैंक से लेना पड़ा जिसे वर्ष के दौरान ही चुकाया गया। वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष नहीं थे। वर्ष के दौरान ₹ 361 करोड़ राशि ब्याज के रूप में चुकाई गई थी। तालिका 2.36 में वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष तथा इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.36: नकद शेष तथा उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2019 को आरम्भिक शेष	31 मार्च 2020 को अंत शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	शून्य	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 49.58	77.93	127.51
कुल	(-) 49.58	77.93	127.51

विवरण	1 अप्रैल 2019 को आरम्भिक शेष	31 मार्च 2020 को अंत शेष	वृद्धि (+) / कमी (-)
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	102.09	9,82.06	879.97
कुल (क)	52.51	10,59.99	1,007.48
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण के अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	शून्य
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	शून्य
निर्धारित निधि का निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ख)	0.19	0.19	शून्य
कुल (क+ख)	52.70	10,60.18	1,007.48
वसूल किया गया ब्याज	66.90	55.02	-11.88

वर्ष की सम्पत्ति पर राज्य सरकार का नकद शेष 2018-19 के ₹ 52.70 करोड़ से ₹ 1,007.48 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, 2019-20 में 1,060.18 करोड़ हो गया। नकद शेष से किया गया निवेश भी ₹102.90 करोड़ से बढ़कर ₹ 982.06 करोड़ हो गए।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को अल्प एवं दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को 0049-ब्याज प्राप्तियां शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में किए गए नकद शेष निवेशों से ₹ 55.02 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था।

2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश तालिका 2.37 में दिए गए हैं।

तालिका-2.37: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष- 8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	00	556.80	556.80	39.59
2016-17	556.80	759.43	202.63	53.30
2017-18	759.43	723.72	(-) 35.71	81.13
2018-19	723.72	102.09	(-) 621.63	66.90
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02

स्त्रोत: वित्त लेखे।


2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण उजागर करता है कि 2015-17 के दौरान निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तदोपरान्त लगातार दो वर्ष क्रमशः गिरावट हुई। 2019-20 के दौरान, निवेश में पुनः ₹ 880 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार को भारी नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद उसका सृजनात्मक उपयोग किए बिना बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा, यह खराब निगरानी संकेत है कि जिससे नकद शेष में अभिवृद्धि हुई।

चार्ट 2.26, 2015-20 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजारी ऋण तथा नकद शेष में उपलब्ध शेषों की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण, उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश न्यूनतम दरों पर ब्याज प्राप्त करते हुए किए गए थे।


चार्ट 2.26: बाजारी ऋण के सापेक्ष नकद शेष

(₹ करोड़ में)



चार्ट 2.27 2019-20 के दौरान नकद शेष तथा निवेश लेखा से नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.27 : 2019-20 के दौरान नकद शेष तथा निवल नकद शेष निवेशों की माह वार गतिविधि



स्रोत: मासिक सिविल लेखे।

राज्य सरकार को नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद उसका सृजनात्मक उपयोग किए बिना वर्ष के दौरान बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा। राज्य के पास पर्याप्त नकद शेष होने के बावजूद वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 4,660 करोड़ उठाए जबकि इस उधार से काफी हद तक बचा जा सकता था।

2.8 निष्कर्ष

- राज्य ने 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में अभी तक संशोधन नहीं किया है। बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित लक्ष्यों तथा राजस्व घाटे/अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक आंकड़ों के मध्य उल्लेखनीय अन्तर पाया गया। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्य 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थे।
- यद्यपि राज्य ने राजस्व अधिशेष बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त किया था तथापि इसमें लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। 2016-20 के दौरान राज्य में 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अंतरणों में वृद्धि के कारण लगातार राजस्व अधिशेष हुआ। राजस्व अधिशेष में 2016-17 से 2019-20 तक (2018-19 के अतिरिक्त) निरंतर गिरावट देखी गई यह ₹ 1,137 करोड़ (2015-16), ₹ 920 करोड़ (2016-17); ₹ 314 करोड़ (2017-18), ₹ 1,508 करोड़ (2018-19) तथा ₹ 12 करोड़ 2019-20 के दौरान रहा।
- राजकोषीय घाटा (₹ 5,597 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.38 प्रतिशत था जो 2019-20 के दौरान लक्ष्य से तीन प्रतिशत या उसके कम से आगे बढ़ गया। इस घाटे को मुख्य रूप से बाजारी उधारों के द्वारा प्रबंधित किया गया। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में वर्ष 2018-19 को छोड़कर लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। 2015-16 में हुई 31.37 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों में 0.67 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए उधार ली गई निधियों पर निर्भरता बहुत अधिक हो गई। राज्य के स्वयं के संसाधनों, जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल है, से मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां आईं जबकि शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों द्वारा दी गई जिसमें केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश (15 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (52 प्रतिशत) शामिल थे।
- राजस्व व्यय 2015-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय का औसतन 84.4 प्रतिशत (78.9 प्रतिशत से 87.0 प्रतिशत में मध्य) रहा। 2015-20 के दौरान पांच वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि-दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2015-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 68 से 71 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 65 से 70 प्रतिशत था।
- पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष 2018-19 (₹ 4,583 करोड़) से 2019-20 के दौरान (₹ 5,174 करोड़) ₹ 591 करोड़ की वृद्धि (13 प्रतिशत) हुई तथा यह कुल व्यय का 14 प्रतिशत रहा।
- समग्र राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष की समाप्ति पर 14.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 62,212 करोड़ थी। कुल राजकोषीय देयताएं-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष से 2019-20 में 2.31 प्रतिशत बढ़ गया तथा 37.60 प्रतिशत पर स्थिर हुआ जो 14वें वित्त आयोग के लक्ष्यों से ऊपर था। सरकार का आंतरिक ऋण 2018-19 के ₹ 35,363 करोड़ से 2019-20 के दौरान बढ़ कर ₹ 39,528 करोड़ (11.78 प्रतिशत) हो गया।

- 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों एवं सहकारिताओं में उसके कुल निवेश (₹4,261.06 करोड़) पर 5.83 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया। हालांकि, मात्र एक कम्पनी ने कुल प्रतिफल का 98 प्रतिशत दिया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने आठ कम्पनियों, निगमों में ₹ 1,772.72 करोड़ का निवेश किया जिनका नेट वर्थ पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। यह सरकारी निवेशों के क्षरण में परिणत हुआ।
- विगत पांच वर्षों में (मार्च 2020 तक) विद्युत परियोजनाओं तथा उद्योग एवं खनिज के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों की चुकौती नहीं की गई थी तथा फसलपालन को मामूली अदायगी के बावजूद अतिरिक्त ऋण दिए गए। वर्ष के दौरान समग्र बकाया शेष में वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक पांच आरक्षित निधियों का संचालन किया जिसमें से दो सब्याज आरक्षित निधियां (₹ 1,887.65 करोड़ क्रेडिट) हैं तथा तीन ब्याज रहित आरक्षित निधियां (₹ 834.66 करोड़ क्रेडिट) हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने इन निधियों को निवेशित नहीं किया था।

2.9 सिफारिशें

- राज्य सरकार, अपने स्वयं के कर-राजस्व के संवर्धन हेतु प्रयास करें। वह लम्बित कर दावों का समय बद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया का निपटान, राजस्व बकाया की वसूली करें तथा बेहतर संसाधन जुटाने की दिशा में कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें;
- राज्य सरकार प्रतिबद्ध व्यय को कम करने के तरीके खोजें ताकि विकास व्यय के हेतु अधिक निधियां उपलब्ध कराई जा सकें;
- राज्य सरकार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार लेने की उच्च लागत को देखते हुए इनमें निवेश की गई पूंजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के मार्ग खोजें;
- सरकार विभिन्न क्षेत्रों को अग्रिम के रूप में दिए गए ऋणों की वसूली करने में कमजोर रही अतः राज्य सरकार ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में माने तथा लेखाओं में उनकी सही स्थिति दर्शाने के लिए उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करें।
- राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई अतिरिक्त लागत वृद्धि ना हो;
- राज्य सरकार को राजस्व व्यय के प्राथमिकताओं का निर्धारण करना चाहिए ताकि राज्य को भविष्यगामी देयताओं से निपटने के लिए उधारों पर कम निर्भर किया जा सकें।